क्रम-संख्या–237 (क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन0पी0–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 10 दिसम्बर, 2019

अग्रहायण 19, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग–4

संख्या 825/18-4-2019-3(बीडा)-2001

लखनऊ, 10 दिसम्बर, 2019

अधिसूचना

सा0प0नि0–72

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 और उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1976) की धारा 9 की उप धारा (2) और धारा 19 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा भदोही औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन विनियमावली,2014 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाता है :–

भदोही औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह विनियमावली भदोही औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन (प्रथम संशोधन) विनियमावली,2019 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

विनियम 9 का संशोधन

2–भदोही औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन विनियमावली, 2014, जिसे आगे उक्त विनियमावली कहा गया है, में विनियम 9 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए उपविनियम (4) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपविनियम रख दिया जायेगा, अर्थात् –

स्तम्भ–1 विद्यमान उप विनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप विनियम
(4)–एक बार भवन योजना की जाँच कर लेने और आपत्तियाँ यदि कोई	(4)–एक बार योजनाओं की संवीक्षा कर लिये जाने पर और आपत्तियाँ,

स्तम्भ–1 विद्यमान उप विनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप विनियम
हो, इंगित कर लेने पर आवेदक उठाई गयी आपत्ति का निराकरण करने के लिए योजना में उपान्तर करेगा और उसे फिर से प्रस्तुत करेगा। यदि आपत्तियों को 01 वर्ष की अवधि तक दूर नहीं की जाती है तो योजना अस्वीकृत कर दी जायेगी।	यदि कोई हो, इंगित कर दिये जाने पर आवेदक, उठाई गयी आपत्तियों का निराकरण करने के लिए योजनाओं में उपान्तरण करेगा और उन्हें पुनः प्रस्तुत करेगा। यदि आपत्तियाँ, आवेदक द्वारा 03 माह की अवधि तक असमाधान कृत रहती हैं तो अनुज्ञा अस्वीकृत कर दी जायेगी।

विनियम 14 का संशोधन

3–उक्त विनियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विनियम 14 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान विनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम
14–कार्य निष्पादन, परिक्षेत्रीय विनियमों, भवन विनियमों और निदेशों के पूर्ण अनुसरण में किया जायेगा– न तो अनुज्ञा की स्वीकृति, न आरेख एवं विनिर्दिष्ट के अनुमोदन, न ही भवन निर्माण के दौरान प्राधिकरण द्वारा किये गये निरीक्षण से ऐसे भवन का स्वामी महायोजना के परिक्षेत्रीय विनियमों, इन विनियमों या योजना और विकास निर्देशों के अनुसार कार्य कराये जाने के पूर्ण उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकता। यदि निर्माण के दौरान या समापन प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात कोई उल्लंघन पाया जाता है तो स्वामी से अपेक्षा की जायेगी कि वह ऐसे अतिक्रमण के संबंध में सूचित होने के संबंध में 15 दिन की अवधि के भीतर प्राधिकरण को समाधानप्रद रूप में उक्त उल्लंघन का निराकरण कर लें। यदि स्वामी उक्त का अनुपालन करने में विफल रहता है तो प्राधिकरण अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करेगा और ऐसा करने में उपगत हुये व्यय की वसूली समापन प्रमाण पत्र के जारी होने से पूर्व स्वामी से ली जायेगी। यदि समापन प्रमाण पत्र पहले ही प्राप्त कर लिया गया हो तो ऐसे व्यय को, यदि नियत समय के भीतर भुगतान न किया गया हो, भू–राजस्व के बकाये के रूप में स्वामी से वसूल किया जायेगा।	कार्य निष्पादन, परिक्षेत्रीय विनियमों, भवन विनियमों और निदेशों तथा अप्राधिकृत विकास पर कार्यवाही के पूर्ण अनुसरण में किया जायेगा। 14–(1) न तो अनुज्ञा की स्वीकृति, न आरेखों एवं विनिर्देशों के अनुमोदन, न ही भवन निर्माण के दौरान प्राधिकरण द्वारा किये गये निरीक्षण से ऐसे भवन का स्वामी महायोजना के परिक्षेत्रीय विनियमों, इन विनियमों या योजना और विकास निर्देशों के अनुसार कार्य कराये जाने के पूर्ण उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकता। यदि निर्माण के दौरान या समापन प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात कोई उल्लंघन पाया जाता है तो स्वामी से अपेक्षा की जायेगी कि वह ऐसे अतिक्रमण के संबंध में सूचित होने के लिए 15 दिन की अवधि के भीतर प्राधिकरण को समाधानप्रद रूप में उक्त उल्लंघन का निराकरण कर ले। यदि स्वामी उक्त का अनुपालन करने में विफल रहता है तो प्राधिकरण अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करेगा और ऐसा करने में उपगत हुये व्यय की वसूली समापन प्रमाण–पत्र के जारी होने से पूर्व स्वामी से की जायेगी। यदि समापन प्रमाण पत्र पहले ही प्राप्त कर लिया गया हो तो ऐसे व्यय को, यदि नियत समय के भीतर भुगतान न किया गया हो, भू–राजस्व के बकाये के रूप में स्वामी से वसूल किया जायेगा।

स्तम्भ–1 विद्यमान विनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम
	(2) अप्राधिकृत विकास के मामले में मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अप्राधिकृत निर्माणों को ढहाये जाने और परिसरों को बंद किये जाने के लिए तत्समय प्रवृत्त सुसंगत अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार समुचित कार्यवाही करेगा।

विनियम 37 का संशोधन

4–उक्त विनियमावली में, विनियम 37 में, सारणी संख्या–2 के पूर्व निम्नलिखित सारणी बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्

तालिका संख्या 1

सामूहिक फ्लैट वाले आवासों से भिन्न आवासीय भूखण्डों पर निर्माण के लिए सेट बैक

टिप्पणी–(1) विशिष्ट सेट बैक प्राधिकरण द्वारा तैयार किये गये परिक्षेत्रीय योजना के अनुसार होगा।

(2) द्वितीय तल के ऊपर ममटी की अनुज्ञा नहीं होगी।

(3) द्वितीय तल की छत पर पहुँच की अनुज्ञा नहीं होगी।

(4) ऊपर दिये गये सभी आयाम मीटर में है।

पहले से अनुमोदित								भू-खण्डों की नयी श्रेणी के लिए सेटबैक / जोनल प्लान					
भू-खण्ड श्रेणी	50.0 वर्ग मीटर तक	50.0 वर्ग मीटर से 75 वर्ग मीटर तक	50.0 वर्ग मीटर से 120 वर्ग मीटर तक	120.0 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक	200.0 वर्ग मीटर से 300 वर्ग मीटर तक	300.0 वर्ग मीटर से 400 वर्ग मीटर तक	400.0 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक	500.0 वर्ग मीटर से 750 वर्ग मीटर तक	750.0 वर्ग मीटर से 1000 वर्ग मीटर तक	1000.0 वर्ग मीटर से 1250 वर्ग मीटर तक	1250.0 वर्ग मीटर से 1500 वर्ग मीटर तक	1500.0 वर्ग मीटर से 1750 वर्ग मीटर तक	1750.0 वर्ग मीटर से 2000 वर्ग मीटर तक
भवन परिधि	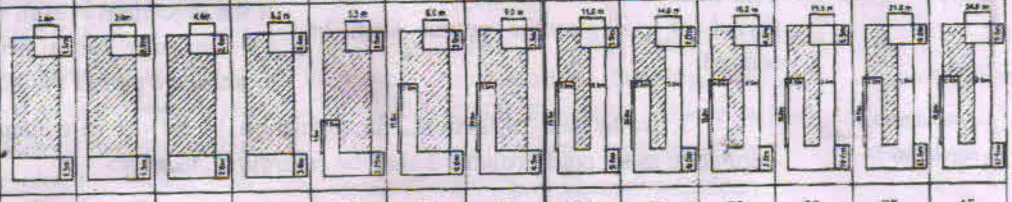												
भूतल, प्रथम तल और द्वितीय तल पर अधिकतम आच्छादन	75	75	75	75	75	65	65	60	55	55	50	50	45
अधिकतम फर्श क्षेत्रफल अनुपात (एफ.ए.आर.)	200	190	180	180	180	160	160	150	150	150	135	135	125
अधिकतम ऊँचाई	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
परिधि योजना के अनुसार सामने का सेटबैक	1.50	1.50	2.0	3.0	3.25	4.00	4.50	5.00	6.00	7.00	10.00	12.50	12.50
परिधि योजना के अनुसार पीछे के सामने पार्श्व का सेटबैक	--	--	--	--	3.0x4.5	3.0x15.0	3.0x20.0	3.5x25.0	3.5x30.0	4.0x35.0	4.5x35.0	6.0x40.0	6.0x43.0
पार्श्व सेटबैक (परिधि योजना के अनुसार)	--	--	--	--	--	--	--	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
पीछे का न्यूनतम सेटबैक (परिधि योजना के अनुसार)	2.4x1.5	3.0x2.0	4.4x2.4	5.2x2.4	5.5x3.0	6.0x3.0	9.0x3.5	11.0x3.5	14.0x4.0	16.5x4.5	19.5x4.5	21.5x4.5	24.0x9.0

आज्ञा से,
नवनीत सहगल,
प्रमुख सचिव।